न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–30/2012–13

बसंत प्रसाद वगैरह बनाम मीना देवी वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

16/8/18

आदेश

प्रथम पक्ष के द्वारा यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2011 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 19.05.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के मूल पक्षकार निम्न प्रकार थे।

प्रथम पक्ष

1. मो0 कौशल्या देवी, पति स्व0 लाल दास राम,
2. बसंत प्रसाद, पिता स्व0 लाल दास राम,
3. चन्द्रशेखर प्रसाद, पिता स्व0 लाल दास राम,
4. उमेश प्रसाद, पिता स्व0 लाल दास राम, ग्राम–पभेड़ी, थाना–धनरूआ, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. राजाराम प्रसाद, पिता स्व0 लाल दास राय,
2. रामेश्वर प्रसाद, पिता स्व0 लाल दास राय, ग्राम–पभेड़ी, थाना–धनरूआ, जिला–पटना

यह वाद अद्म पैरवी के कारण दिनांक 18.05.2015 को खारिज कर दिया गया था, जिसे प्रथम पक्ष के अनुरोध पर दिनांक 27.05.2015 को पुर्नजीवित किया गया।

इस न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दौरान प्रथम पक्ष मो0 कौशल्या देवी एवं द्वितीय पक्ष राजा राम प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 16.11.2016 को कौशल्या देवी का नाम Delete करने तथा राजाराम प्रसाद के स्थान पर उनके उतराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गयी।

इस वाद के मूल विपक्षी सं0 1 राजा राम प्रसाद के द्वारा दिनांक 27.08.2014 को लिखित प्रतिउतर दाखिल किया जा चुका था।

विपक्षी सं0 1 के प्रतिस्थापित उतराधिकारियों को निर्गत निबंधित नोटिस वापस हो जाने के पश्चात दिनांक 18.07.2017 के दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी सं0 1 के प्रतिस्थापित उतराधिकारीगण उपस्थित नहीं हुए।

विपक्षी सं0 2 रामेश्वर प्रसाद को भेजी गयी निबंधित नोटिस वापस

हो जाने के कारण दिनांक 15.05.2018 के दैनिक जागरण में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी सं0 2 रामेश्वर प्रसाद उपस्थित नहीं हुए।

उपर्युक्त परिस्थिति में दिनांक 08.08.2018 को एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पर रखा गया।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
धनरूआ	पभेड़ा	103	81	205	0.19
				212	0.46
				227	0.73
				71	0.30
				कुल	1.68 एकड़

प्रथम पक्ष का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड के खतियानी रैयत धनपत कहार, जीत लाल कहार एवं मीत लाल कहार थे। आपसी बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड धनपत कहार को मिली थी। धनपत कहार को दो पुत्र जुदागी राम एवं लाल दास राम हुए। धनपत कहार की मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्रों के बीच आपसी बंटवारा हुआ। बंटवारा के पश्चात जुदागी राम ने अपने ममहर ग्राम चकदौलत में बसने का फैसला किया तथा अपने हिस्से का भूखण्ड दिनांक 15.06.1926 को 81/– (इक्कासी) रूपये में लाल दास राम को बेच दिया। लाल दास राम ने दिनांक 08.07.1938 के निबंधित केवाला से अपने चाचा जीत लाल कहार से 1.80 एकड़ भूखण्ड का क्रय अपनी पत्नी कौलेश्वरी देवी के नाम से क्रय किया। कौलेश्वरी देवी की अपनी कोई आमदनी नहीं थी।

(2) कौलेश्वरी देवी अपने पीछे पति लाल दास राम एवं एकमात्र पुत्र राजाराम प्रसाद को छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गयी तब लाल दास राम ने इस वाद की आवेदिका कौशल्या देवी के साथ दूसरा विवाह किया, जिससे तीन पुत्र बसंत प्रसाद, चन्द्रशेखर प्रसाद एवं उमेश प्रसाद हुए।

(3) लाल दास राम के द्वारा मध्यवर्ती जमीन्दार को लगान अदा किया जाता था। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात सरकार को लगान अदा किया जाने लगा। वर्ष 1988 में लाल दास राम की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी कौशल्या देवी के नाम से जमाबंदी कायम की गयी तथा उनके द्वारा सरकार को लगान अदा किया जाने लगा।

(4) विपक्षी राजा राम प्रसाद के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, धनरूआ को आवेदन दिया गया, जिसे अंचलाधिकारी, धनरूआ के द्वारा जाँचोपरान्त दाखिल खारिज वाद सं0 1032/2010–11 के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2011 को अस्वीकृत कर दिया गया।

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 1023/2010–11 में पारित आदेश के

विरूद्ध राजा राम प्रसाद के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 04/2011–12 दायर की गयी।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रथम पक्ष की जमाबंदी को रद्द करते हुए विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज करने का आदेश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2011 में दिनांक 19.05.2012 को पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

द्वितीय पक्ष राजा राम प्रसाद के द्वारा दाखिल अपने प्रतिउतर में कहा गया है कि :–

(1) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अपील वाद सं0 04/2011 में दिनांक 19.05.2012 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। यह पुनरीक्षण वाद पोषणीय नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड की खरीद विपक्षी की माता कौलेश्वरी देवी के द्वारा अपने गहने बेच कर दिनांक 08.07.1938 के केवाला से की गयी थी। यह क्रय उनकी नीजि आय से किया गया था। खरीदगी के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड कौलेश्वरी देवी के स्वामित्व एवं दखल में थी। कौलेश्वरी देवी की मृत्यु के उपरान्त उनके एक मात्र पुत्र राजाराम प्रसाद प्रश्नगत भूखण्ड के स्वामी एवं दखलकार हुए।

(3) कौलेश्वरी देवी की मृत्यु के उपरान्त लाल दास राम के द्वारा दूसरा विवाह कौशल्या देवी से किया गया। लाल दास राम ने धोखे से कौलेश्वरी देवी द्वारा खरीदी गयी नीजी सम्पति का दाखिल खारिज भी अपने नाम से करवा लिया। इस बात की सूचना राजा राम प्रसाद को नहीं दी गयी, क्योंकि वह नौकरी के कारण बाहर रहा करते थे।

(4) विपक्षी राजा राम प्रसाद के द्वारा वर्ष 1938 में अपनी माता के द्वारा खरीदी गयी जमीन के दाखिल खारिज के लिए वर्ष 2010 में अंचलाधिकारी, धनरूआ को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, धनरूआ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1032/2010–11 के अन्तर्गत विपक्षी राजा राम प्रसाद का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 1032/2010–11 में दिनांक 19.01.11 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2011 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा सुनवाई के उपरान्त अपील स्वीकृत करते हुए, अंचलाधिकारी, धनरूआ के दिनांक 19.01.2011 के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(6) मो0 कौशल्या देवी के एक पुत्र जो इस रिवीजन वाद में आवेदक सं0 04 है, के द्वारा सब जज प्रथम, पटना के न्यायालय में स्वत्व विभाजन वाद सं0 401/12 दाखिल किया गया है। जिसमें विपक्षी राजा राम प्रसाद को प्रतिवादी सं0 2 बनाया गया है, विपक्षी राजा राम प्रसाद के द्वारा उक्त स्वत्व वाद में उपस्थित होकर अपना प्रतिउतर भी दाखिल किया जा चुका है।

(7) सक्षम व्यवहार न्यायालय में जब स्वत्व का वाद लम्बित है, तब राजस्व न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना असंगत एवं क्षेत्राधिकार से परे होगा। अतः दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2011 में दिनांक 19.05.2012 को पारित आदेश को यथावत रखा जाये।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है:—

(1) प्रश्नगत भूखण्ड की खरीद वर्ष 1938 में कौशल्या देवी के नाम से की गयी। प्रश्नगत भूखण्ड का लगान उनके पति लाल दास राम के द्वारा अदा किया जाता रहा। विपक्षी के द्वारा ऐसा कोई सक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 1938 से खरीदगी के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड का लगान कौलेश्वरी देवी के द्वारा अदा किया गया।

(2) वर्ष 1938 के केवाला के आधार पर विपक्षी राजाराम प्रसाद के द्वारा वर्ष 2010 में अपने नाम से दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, धनरूआ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1032/2010—11 के अन्तर्गत आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक राजा राम प्रसाद का दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व से मो0 कौशल्या देवी के नाम से कायम है। यह मामला स्वत्व का है।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 1032/10—11 में दिनांक 19.01.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में अपील वाद सं0 04/2011 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा वर्ष 1938 के केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षी राजा राम प्रसाद के अधिकार की घोषणा कर दी गयी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर यह आदेश पारित किया गया है, क्योंकि पारिवारिक सम्पति में हिस्सा एवं अधिकार की घोषणा केवल सक्षम व्यवहार न्यायालय के स्तर से ही की जा सकती है।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज के मूल बिन्दु दखल कब्जा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 1032/10—11 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा राजा राम प्रसाद के दखल के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। अंचलाधिकारी, धनरूआ के द्वारा भी अपने आदेश में कहा गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक राजा राम प्रसाद के दखल के संबंध में प्रतिवेदन नहीं है।

यदि अंचल कार्यालय के अभिलेख में दखल के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं था तो भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा स्वंय स्थल निरीक्षण कर दखल के बिन्दु पर जांच कर लेनी चाहिए थी, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दखल के बिन्दु पर जांच किए बिना वर्ष 1938 के केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करने का आदेश दे

दिया गया।

(5) विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व बंटवारा वाद सं0 401/12 दायर है, अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के अपील वाद सं0 04/2011 में पारित आदेश में हसतक्षेप नहीं किया जाय, परन्तु विपक्षी के द्वारा संबंधित स्वत्व वाद से संबंधित याचिका अथवा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अपील वाद सं0 04/2011 में दखल–कब्जा के बिन्दु पर बिना जाँच किए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिकार की घोषणा कर दी गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2011 में दिनांक 19.05.2012 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। विपक्षी के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व बंटवारा वाद सं0 401/12 दायर है। स्वत्व बंटवारा वाद में पारित आदेश अंतिम रूप से प्रभावी होगा।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी एवं अंचलाधिकारी, धनरूआ को भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/8/13

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

16/8/13

(वजै़न उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना